

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना जिला श्रीगंगानगर

जगसीरसिंह

बनाम

राज0 सरकार

प्रकरण सं0 - 2021/ 963

(C.M.S.)

अन्तर्गत धारा- 136 एल.आर.एक्ट

**12.11.2021** प्रार्थी जगसीरसिंह पुत्र रणसिंह जाति जटसिख साकिन 7 सीसी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पिता के नाम से जमाबन्दी में दर्ज चक 9 केडब्ल्यूएम के मु0 नं0 173/10 के किला नं0 1 ता 13, 17 ता 20 की 17-00 बीघा कमाण्ड/अ0क0 रकबे की सीएडी सर्वे अनुसार अन्तर राशि जमा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद करवाने का निवेदन किया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

तहसीलदार घड़साना से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मुताबिक जमाबन्दी चक 9 केडब्ल्यूएम के प0 नं0 173/10 के किला नं0 1 ता 13, 17 ता 20 की 3.289 है0 कमाण्ड/अ0क0 रकबा रणसिंह पुत्र धन्नासिंह जाति जटसिख साकिन 7 सीसी गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। मौके पर रकबा खाली है तथा उक्त रकबा पर किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं है। आवंटन आदेश की प्रमाणित चित्रप्रति अनुसार चक 9 केडब्ल्यूएम के मु0 नं0 173/10 के किला नं0 1 ता 13, 17 ता 20 की 17-00 बीघा अनकमाण्ड रकबा दिनांक 04.07.81 को रणसिंह पुत्र धन्नासिंह जाति जटसिख साकिन 7 सीसी तहसील पदमपुर को जी श्रेणी में रुपये 4462.50 में आवंटन की गई थी। अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड छतरगढ़ की सीएडी रिपोर्ट संख्या 5911 दिनांक 03.03.2021 के अनुसार चक 8 केडब्ल्यूएम के मु0 नं0 173/10 के किला नं0 1 ता 13 अ0क0 व किला नं0 17 ता 20 की 4-00 बीघा कमाण्ड है। सीएडी स्कीम वर्ष 1987 से लागू है। प्रार्थी सीएडी सर्वे अनुसार अन्तर राशि व बकाया किश्त जमा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद करवाना चाहता है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र अनुसार किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं है। 6-ए व वनविभाग से प्रभावित नहीं है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिसमें प्रार्थी द्वारा अपनी कृषि भूमि की सीएडी सर्वे अनुसार अन्तर राशि जमा करवाकर जमाबन्दी में सीएडी अनुसार दर्ज करवाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार घड़साना से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि प्रार्थी के नाम गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र अनुसार उक्त भूमि प्रार्थी के कब्जा काश्त में है उक्त भूमि पर कोई स्थगन/विवाद नहीं है। प्रार्थी की भूमि में 4-00 बीघा अ0क0 से कमाण्ड हो चुकी है। अतः यदि किसी न्यायालय में स्थगन/विवाद ना हो तो नियमानुसार जांचकर प्रार्थी से सीएडी सर्वे अनुसार नियमानुसार अन्तर राशि जमा करवाकर सीएडी सर्वे अनुसार जमाबन्दी में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार घड़साना को पालना के लिए पत्र जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिलाषा)

उपखण्ड अधिकारी

घड़साना